| | |
|---|---|
| 5/3/24 | पत्रावली पेश हुई । प्रार्थी अथवा प्रार्थिगण की ओर से कोई उप० नहीं है। प्रार्थीगण का वाद खारिज हो चुका है। वाद के अभाव में प्रा० पत्र अस्थाई – निषेधाज्ञा के चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। |
| | सहायक कलक्टर एवं [illegible] मजिस्ट्रेट फास्ट ट्रैक [illegible] |